The Hindu- 30- November-2021

'Karnataka not sharing Krishna details'

Telangana and A P. tell SC that they have no information on how much river water has been diverted

KRISHNADAS RAJAGOPAL

Telangana and Andhra Pradesh submitted in the Supreme Court on Monday that there is no information forthcoming from Karnataka for the past 14 years about how much Krishna river water it has diverted.

In turn, Karnataka argued that a lot water is going waste – "flowing down into the ocean" – and there is a need to harness it for irrigation and to replenish dry regions.


Karnataka has sought the vacation of a November 16, 2011 of the Supreme Court which stopped the Centre from publishing in the Official Gazette the final order of the Krishna Water Disputes Tribunal II (KWDT) pronounced in December 2010, allocating the river water to Karnataka, erstwhile Andhra Pradesh and Maharashtra.

The KWDT had further modified its final order and report on November 29, 2013 to allot surplus water to Karnataka, Maharashtra and the erstwhile State of Andhra Pradesh while preserving the allocation of 2,130 tmc ft already made amongst them.

The publication of the order of the Tribunal is a necessary pre-condition for its implementation. However, following the bifurcation of Andhra Pradesh, its successors Telangana and Andhra Pradesh had moved the Supreme Court challenging the KWDT's allocation of shares.

'Projects hit hard'

Karnataka has argued that its dam and irrigation projects worth thousands of crores to provide water to its parched northern areas have been stalled for all these years because of the 2011 order of the



Water sharing woes: An aerial view of the Prakasam Barrage on the Krishna in Vijayawada. • V RAJU

Supreme Court to not publish the KWDT decisions in the Official Gazette under Section 6(1) of the Inter-State Water Disputes Act of 1956.

Karnataka has argued that the dispute raised by Andhra Pradesh and Telangana was between them and did not concern it. It referred to the Cauvery water dispute, in which the Supreme Court had, in February 2013, ordered the Centre to publish the Cauvery Water Disputes Tribunal award in the Official Gazette despite the pendency of the cases filed by Karnataka and Tamil Nadu against the Tribunal's 2007

final order of allocation of water.

The Centre successfully sought two weeks' time. A Bench led by Justice D.Y. Chandrachud posted the case for December 13, but not before exclaiming that seven years have elapsed since the KWDT had pronounced its modified final report and order.

Issue of 'grave urgency'

Senior advocates Shyam Divan and Mohan Katarki, for Karnataka, said the issue was of "grave urgency" as far as the State was concerned.

"The life of the KWDT award is 40 years, out of which 10 years have already lapsed and 10 years is required to complete the work... As a result, Karnataka will not be in a position to utilise water 20 out of 40 years," Karnataka said.

Telangana Today- 30- November-2021

Heavy rain lashes parts of AP

AMARAVATI/CHENNAI

The India Meteorological Department (IMD) has issued an 'Orange' alert for heavy rains in Prakasam, Nellore, Chittoor and Kadapa districts of Andhra Pradesh.

IMD has also predicted thunderstorms and lightning in these four districts of Andhra Pradesh.

The IMD has also issued an advisory for fishermen not to venture into the sea.

Meanwhile, heavy rains have lashed out many parts of Nellore, Kadapa, Srikalahasti and Chittor district on Monday morning.

Earlier on Friday, the State government informed that 44 people have lost their lives due to floods caused by the unprecedented rain in the State.

Heavy rains likely in Tamil Nadu

Heavy rains will shift to South Tamil Nadu on Monday and lash the southern districts till Tuesday, as per



Kurukkuthurai Murugan Temple nearly submerged in flood water following heavy rain, in Tirunelveli, on Monday. — Photo: PTI

the India Meteorological Department.

From Tuesday, its intensity will decrease, it added. Wind convergence would result in heavy to very heavy rains in Southern districts, including Kanyakumari, Tirunelveli, Thoothukudi

and Ramanathapuram. Chennai and other coastal districts will receive moderate rains. The IMD said that the cyclonic circulation over the Comorin area and the adjoining Sri Lanka coast in the lower level may move and emerge in the

Arabian Sea. This phenomenon will happen from Monday onwards. While the easterly winds over the coastal areas would push moisture into the land, the moving weather system would bring in south-westerly winds. IANS\ANI

File No.T-74074/10/2019-WSE DTE

Business Line- 30- November-2021

ADB's \$125 m loan for water supply, sanitation in Uttarakhand

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, November 29

The Asian Development Bank said it has approved a loan of \$125 million (around ₹938 crore) for water supply and sanitation projects in Uttarakhand.

Over 136 km of water pipe system will be constructed to replace defective networks in South Dehradun, water meters will be installed in about 5,400 households to support efficient water use and consumption billing, ADB said. The project will also involve setting up sewage treatment plants in Dehradun, supported by 256 km of underground sewer networks and 117 km of stormwater drain. A total of 17,410 households in the State capital will be linked to this sewerage system.

It will also replace an aging sewage treatment plant with a new one, and rehabilitate the trunk sewer in Nainital.

The Tribune- 30- November-2021

8.55 cr rural households have tap water

Of the 19.22 crore rural households in the country, 8.55 crore have the provision of tap water supply at their homes, Jal Shakti Ministry Prahlad Singh Patel told the Rajya Sabha on Monday. He said of 17.01 lakh rural habitations, 13.39 lakh (78.70 per cent) have the provision of potable drinking water. He also said 0.43 lakh (2.5 per cent) rural habitations are reported to have drinking water sources with water quality issues. PTI

Jansatta-30-November-2021

प्रदूषण से कराहते महासागर

योगेश कुमार गोयल

निदयों के जिरए ही प्रतिवर्ष करीब सत्ताईस लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंचता है और इनमें शहरी क्षेत्रों से निकलने वाली छोटी निदयां सर्वाधिक प्रदूषित हैं। समुद्रों में प्लास्टिक कचरे का करीब अस्सी फीसद हिस्सा पहुंचाने के लिए दुनिया की केवल एक हजार निदयों को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया है, जो विश्व भर की कुल निदयों का केवल एक फीसद हैं। शेष बीस फीसद प्लास्टिक कचरा तीस हजार अन्य निदयों के जिरए समुद्रों में पहुंच रहा है।

पृथ्वी पर मुख्यतः पांच महासागर हैं, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव महासागर। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक औसतन एक ट्रक प्लास्टिक कचरा प्रति मिनट महासागरों में गिराया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न घातक रसायन और जल-मल भी समुद्रों का हाल बेहाल कर रहे हैं। प्रतिवर्ष अरबों टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में समा जाता है, जो न गल पाने की वजह से बरसों तक ऐसे ही पड़ा रहता और महासागरों की सेहत बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है। समुद्रों में बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे के अलावा रासायनिक और अन्य प्रदूषक तत्व भी समाते हैं। आए दिन सैंकड़ों-हजारों टन विषैले रसायन समुद्रों में समाने से समद्री जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि इनका समुद्री वनस्पतियों की वृद्धि के अलावा समुद्री जीव-जंतुओं पर भी बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। महासागरों का गर्म होना, समुद्री पानी का पीएच मान कम होना, पोषक तत्वों की आपूर्ति तथा आक्सीजन की कमी,

इन सभी को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़ता तनाव बहत प्रभावित करता है।

पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में केवल हिंद महासागर में प्रति वर्ष करोड़ों टन भारी धातुएं तथा लवणीय पदार्थ समाहित हो जाते हैं। महासागरों में इन्हीं प्लास्टिक, रासायिनिक तथा अन्य प्रदूषकों की वजह से महासागर कराह रहे हैं। तमाम समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समुद्र में समाते प्लास्टिक कचरे को वे अपना भोजन समझ कर निगल लेते हैं, जित्रसे बहुत स समुद्री जीवों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दरअसल, वेल, समुद्री कव्हल आवः मछ्ली पकड़ने वाले जाल तथा अन्य प्लास्टिक खा लेते हैं, जो उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। विभिन्न अध्ययनों में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक रसायन समुद्रों के जिरए मछलियों

तथा अन्य समुद्री जीवों के शरीर में जा रहे हैं, जिनका सेवन दुनिया भर में करीब तीन सौ करोड़ लोग करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। विशालकाय समुद्री शिकारी जीवों के शरीर में बढ़ता प्रदूषकों का स्तर गंभीर चिंता का विषय बनने लगा है। यह न सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते रसायमां के प्रभाव को दर्शाता, बल्कि यह भी रसष्ट करता है कि हमारे वातावरण में इन रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है।

हाल ही में वैज्ञानिकों को नार्वे के पास किलर वेल मछलियों में बड़ी मात्रा में हानिकारक रसायन मिले हैं। 'एनवायरमेंटल टाक्सिकोलाजी एंड केमिस्ट्री' नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार आठ में से सात किलर वेल्स की चर्बी में उच्च मात्रा में प्रतिबंधित 'पालीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल'

(पीसीबी) के अंश मिले। शोधकर्ताओं को किलर वेल्स के ऊतकों में मानव निर्मित विषैले रसायनों— परफ्लुओरो अल्काइल सब्सटेंस (पीएफएएस) के प्रमाण मिले, जिन्हें इंसानी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रमुद्र के स्तनधारी जीवों के स्वास्थ्य को पीएफएएस रसायन कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी तो अभी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि ये रसायन जंगली जीवों में प्रजनन क्षमता और उनके हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को किलर वेल्स के ऊतकों में नई तरह के ब्रामिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स भी मिले, जो उनसे उनके बच्चों के शरीर में भी जा रहे हैं।

स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउँसिल के रसायन

विज्ञानी एथेल इजारत के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में पहली बार समुद्री कछुओं के पेट में प्लास्टिक होने का भी खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं द्वारा लुप्तप्राय लागरहेड प्रजाति के कुल चौवालीस ऐसे कछुओं के अवशेषों का विश्लेषण किया गया, जो पूर्वी स्पेन में कैटलन तट पर तथा बेलिएरिक द्वीपों में समुद्र के किनारों पर मृत पाए गए थे। अध्ययन के दौरान इन सभी कछुओं की मांसपेशियों तथा पेट में उच्च स्तर पर प्लास्टिक के कण होने का पता चला। शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक में मौजूद उन्नीस यौगिकों का विश्लेषण किया, जो हार्मोन-रेगुलेटिंग एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोटाक्सिक तांवा कारिनेजेनिक को वाधित करने वाले होते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जैलीफिश, सार्डिन, स्क्वायड आदि समुद्री जीव कछुओं का मुख्य आहार होते हैं, लेकिन ये समुद्रों में प्लास्टिक वैग, बोतल के ढक्कन, प्लास्टिक के अन्य अपशिष्ट का भी



सेवन करते हैं, जिसके स्पष्ट प्रमाण मिले हैं।

जहां तक महासागरों में समाते प्लास्टिक कचरे की बात है, तो नदियां इसका बहुत बड़ा स्नोत हैं। प्रतिवर्ष इन्हीं के जिए लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में समा जाता है। हाल ही में आस्ट्रेलिया के एक फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'प्लास्टिक वेस्ट मेकर्स इंडेक्स' में बताया गया है कि 2019 में समुद्रों में तेरह करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक पहुंचा। एक अन्य शोध में बताया या है कि नदियों के जिए ही प्रतिवर्ध करीब सत्ताईस लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंचता है और इनमें शहरी क्षेत्रों से निकलने वाली छोटी नदियां सर्वाधिक प्रदूषित हैं। समुद्रों में प्लास्टिक कचरे का करीब अस्सी फीसद हिस्सा पहुंचाने के लिए दुनिया की

केवल एक हजार निदयों को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया है, जो विश्व भर की कुल निदयों का केवल एक फीसद हैं। शेष बीस फीसद प्लास्टिक कचरा तीस हजार अन्य निदयों के जरिए समुद्रों में पहुंच रहा है।

नए शोध के मुताबिक समुद्रों में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण में छोटी और मध्यम आकार की नदियों की प्रमुख भूमिका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में हुए विभिन्न शोधों में प्लास्टिक प्रदूषण फैला रही प्रमुख नदियों की संख्या दस से बीस के बीच ही थी, पर नए शोध में प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली नदियों की संख्या उससे पचास से सौ गुना ज्यादा है। शोधकर्ताओं के अनुसार समुद्रों में करीब पच्चीस फीसद प्लास्टिक कच्च पहुंचाने वाली चार सौ चौवन बहुत छोटी नदियां हैं। तीन सौ साठ छोटी नदियां चौबीस फीसद, एक सौ बासठ मध्यम आकार की नदियां बाईस फीसद, अटारह बड़ी नदियां दो फीसद और छह बहुत बड़ी नदियां करीब एक नदियां दो फीसद और छह बहुत बड़ी नदियां करीब एक

फीसद कचरे के लिए जिम्मेदार होती हैं, जबिक विभिन्न आकार की अन्य निदयां छब्बीस फीसद प्लास्टिक कचरा समुद्रों तक पहुंचाती हैं। शोध में यह भी पाया गया कि प्लास्टिक कचरे को समुद्र में डालने के मामले में फिलीपींस प्रथम पायदान पर है, जिसकी अड्तालीस सौ से भी ज्यादा निदयों के जिए प्रतिवर्ध साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन से भी अधिक प्लास्टिक कचरा, जबिक चीन की करीब तेरह सौ निदयों से सत्तर हजार मीट्रिक टन से ज्यादा, भारत की ग्यारह सौ से ज्यादा निदयों के जिए सवा लाख टन से ज्यादा और मलेशिया की 1070 निदयों के जिए तिहत्तर हजार मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा हर साल समुद्रों में समा रहा है।

समुद्रों की हमारे पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत महत्ता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब समुद्रों में गर्माहट बढ़ रही है, जिससे विभिन्न सागरों में बड़े-बड़े तूफान बार-बार आ

रहे हैं। पिछले साल अम्फान, निसमी और इस साल आए तौकते तथा यास जैसे प्रचंड चक्रवाती तूफानों का कारण भी समुद्री सतह का ज्यादा गर्म होना माना गया है। 2018 से 2021 तक लगातार चार वर्षों में प्री-मानसून सीजन में अरब सागर में चक्रवात दिखाई दे रहे हैं। कमोवेश यही हाल अन्य महासागरों का भी है। जलवायु परिवर्तन के ही कारण दुनिया भर के महासागरों में ग्लिशवर भी तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे सहासागरों में क्होतरी हो रही है, जो कई इलाकों में सबुती जलारत कारण बन सकते हैं। बहरहाल, पर्यावरण तथा मौसम वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि महासागरों में हानिकारक रसायनों की नियमित निगरानी बेहद जरूरी है, ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले इनके प्रभावों को सीमित किया जा सके।

Hindustan- 30- November-2021

गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए समुचित कदम नहीं उढाने पर कड़ी नाराजगी जताई, प्रगति रिपोर्ट १५ अप्रैल तक दाखिल करने को कहा

गंगा के लिए धन के उचित इस्तेमाल पर जवाबदेही तय हो: एनजीटी

सख्ती

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि पिछले 36 वर्षों की निगरानी के बाद भी गंगा की सफाई आज भी चुनौती बनी हुई है। अब समय आ गया है कि गंगा की सफाई के लिए आवंटित धन के उचित व समय पर इस्तेमाल को लेकर जवाबदेही तय की जाए।

एनजीटी प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि गंगा में प्रदूषण कम करने के बेहतर परिणाम पाने के लिए आवंटित धन व इसके उपयोग के संबंध में जांच की जरूरत है। केंद्र सरकार के स्तर पर गंगा एक्शन प्लान (पहला व दूसरा चरण) और उसके बाद राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की स्थापना से पहल की गई है, बावजूद इसके गंगा में प्रदूषण अभी भी बना हुआ है।

एनजीटी ने कहा, 'निगरानी और जवाबदेही तय करने में विफलता से सार्वजनिक धन की बर्बादी, निरंतर प्रदूषण और इसके परिणामस्वरूप मौतें और बीमारियां होती हैं। ऐसा लग रहा है कि संबंधित प्रशासन के शीर्ष स्तर को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कामकाज में संरचनात्मक बदलाव पर



विचार करने की जरूरत है। ताकि, समयसीमा बनाए रखने के लिए जवाबदेही तय की जा सके। विफलता के कारणों और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए। आंतरिक समीक्षा तंत्र को भी मजबृत बनाने की जरूरत है।' एनजीटी ने कहा कि पिछले आदेशों के गैर-अनुपालन मामले में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा शुरू करने सहित दंडात्मक उपाय किए जाने चाहिए। पीठ ने मामले में एनएमसीजी और

गंगा सहित अन्य नदियों के ३५० खंडों के कायाकल्प से जुड़ा है मामला

एनजीटी ने करीब दो साल पहले गंगा सहित विभिन्न नदियों के 350 खंडों के कायाकल्प के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने और उस पर अमल के लिए केंद्रीय निगरानी समिति गठित की थी। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को समय–समय पर इस कार्य की निगरानी करने का निर्देश भी दिया था।

> सीपीसीबी को 31 मार्च, 2022 तक गंगा सफाई के कामकाज को लेकर प्रगति रिपोर्ट 15 अप्रैल, 2022 तक दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल, 2022 को होगी।